

प्रेषक,

वाणी रंजन अग्रवाल,  
जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

सेवामें,

महा निबन्धक,  
माननीय, उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक: JA-2811/पन्द्रह: दिनांक जौनपुर अक्टूबर 04, 2024 ई0।

विषय— दिव्यांग अधिवक्तागण हेतु गठित अभिगम्यता समिति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3551/वी-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद के पत्रांक दिनांकित 05.01.2024 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिला न्यायालय में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन कर ई-कमेटी (E-Committee) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा अपने पत्रांक 3607/वी-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद, दिनांकित 03.04.2024 के द्वारा दिव्यांग अधिवक्तागण के लिये जनपद न्यायालय में अलग से की जा रही कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आख्या आहूत किया था।

इस सम्बन्ध में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की त्रैमासिक बैठक विचार-विमर्श/समस्या निराकरण हेतु दिनांक 23.09.2024 को समिति के अध्यक्ष, अपर जिला जज द्वितीय की अध्यक्षता में आहूत की गयी (छायाप्रति संलग्न) एवं उसका विवरण जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया गया। समिति के अनुसार माह सितम्बर, 2024 तक कुल सात अधिवक्तागण द्वारा अपना बायोडाटा उपलब्ध कराया गया है जिनका डाटाबेस तैयार कर लिया गया है, किन्तु अब तक किसी अधिवक्ता/वादकारी द्वारा कोई वाद अभिगम्यता समिति के माध्यम से दाखिल नहीं किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।  
ससम्मान।

भवदीय,

  
( वाणी रंजन अग्रवाल ), 4/10-2024  
जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

जनपद न्यायालय जौनपुर में गठित  
Accessibility Committee की बैठक सूचना

1. श्री अनुज कुमार जौहर, सिविल जज ( सी0डि0 ) ( सदस्य )
2. श्री अभिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर ( सदस्य )
3. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट ( सदस्य )
4. श्री श्याम लाल सरोज, डी0एस0ए0 ( सदस्य )

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासकीय आदेश संख्या 25/2024 दिनांकित 09.01.2024 एवं तत्सम्बन्धी प्रशासकीय आदेश संख्या-84/2024 दिनांकित 23.04.2024 के द्वारा मेरी अध्यक्षता में Accessibility Committee का गठन करते हुए आप सब को उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। साथ ही यह निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 27.09.2024 को समय 1.40 बजे उक्त समिति की त्रैमासिक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। समिति की बैठक में सभी सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक है।

उक्त आहूत त्रैमासिक बैठक के सम्बन्ध में डी0एस0ए0 द्वारा समस्त सदस्यों को अपने स्तर सूचित किया जाय।

दिनांक: 27.09.2024 ई0।

- 1- Civil Judge (S.D.)-
- 2 - Court Manager
- 3 - DSA.
- 4 - Sh. Girish Srivastava, Adv.

( मौ0 शारिक सिद्दीकी )  
अपर जिला जज द्वितीय  
अध्यक्ष  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

GAB  
27/9/24

**जनपद न्यायालय, जौनपुर में गठित  
(Accessibility Committee) की त्रैमासिक बैठक का वृत्तांश**

आज दिनांक 27.09.2024 को 1.40 बजे अपराह्न मेरे विश्राम-कक्ष में (Accessibility Committee) की बैठक आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, श्री श्यामलाल सरोज डी0एस0ए0 तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। श्री अनुज कुमार जौहर, सिविल जज (सी0डि0) जौनपुर, अवकाश पर रहने के कारण उपस्थित नहीं थे। इसके पहले इस कमेटी की तिमाही बैठक दिनांक 29.07.2024 को हुई थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने एवं मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने हेतु विचार-विमर्श किया गया एवं उसको जनपद न्यायालय जौनपुर की वेबसाइट <https://jaunpur.dcourts.gov.in/> पर अपलोड किया गया। उक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर तथा ग्राम न्यायालय हेतु तहसील स्तर पर अधिवक्ता समितियों को पत्र प्रेषित किये गये। समिति की पूर्व में हुई विचार विमर्श बैठक के क्रम में आज की आहूत की गयी बैठक में समेकित रूप से निम्न प्रस्ताव परित किया गया :-

1. आज समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिवक्तागण/वादकारीगण जो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 एवं उसके लिये बनाये गये नियम में दिये गये प्रविधानों के अन्तर्गत उक्त सुविधा के पात्र हैं, उनके लिये समिति के गठित ई-मेल पते-committeeaccessibility@gmail.com को प्रचारित एवं प्रसारित किया जावे तथा जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://jaunpur.dcourts.gov.in/> पर प्रत्येक तिमाही आधार पर अपलोड भी किया जावे जिससे असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण/न्यायिक अधिकारीगण उक्त ई-मेल एवं वेबसाइट का प्रयोग कर अधिकाधिक उक्त सुविधा का लाभ उठा कर ई-फाईलिंग कर सकें तथा यदि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई समस्या हो तो उनका त्वरित एवं प्रभावी रूप से निराकरण भी किया जा सके।
2. समिति के सदस्य डी0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत की गयी असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची के अवलोकन से विदित है कि समिति के सदस्य सहित अब तक ऐसे कुल 7 अधिवक्तागण/वादीकारीगण के नाम प्राप्त हुये हैं। असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची में नये नामों की वृद्धि हेतु दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति, जौनपुर एवं तहसील स्तर के ग्राम न्यायालयों में अधिवक्ता समितियों को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।
3. अभिगम्यता समिति की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार केवल असक्षम अधिवक्ता ही स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/लिपिक के द्वारा ई-फाईलिंग की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं न कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस

सम्बन्ध में भी समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस बात को भी न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।

4. समिति की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि सभी दस्तावेज डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिये एवं केवल ई-स्टाम्प का ही प्रयोग किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में भी सभी के सुलभ जानकारी हेतु वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किये गये कार्यों एवं दाखिल/निस्तारित वादों की संख्या सूची भी प्रकाशित करेगी जिसको न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करने के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी समय-समय पर सूचित किया जाय। डी0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार अब तक ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र किसी अधिवक्ता/वादकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।
6. उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभिगम्य दस्तावेज (Accessible Documents) की जाँच करने हेतु एवं वादकारियों की समस्याओं के निराकरण/सहयोग हेतु डी0एस0ए0 एवं एस0ए0 का आपेक्षित सहयोग लिया जावे। और यदि आवश्यक हुआ तो समिति के अध्यक्ष के समक्ष उक्त समस्या को रखा जाय।
7. बैठक में यह भी विचार विमर्श किया गया कि यदि किसी आवश्यक समस्या का निराकरण करना हुआ या माननीय उच्च न्यायालय का कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुआ तो समय पूर्व भी बैठक आहूत कर उक्त पर विचार विमर्श किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया और आज की बैठक अग्रिम तिथि तक के लिये स्थगित की गयी।

( अनुज कुमार जौहर ),  
सिविल जज(सी0डि0)/ सदस्य,  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

( अमिताभ श्रीवास्तव ),  
कोर्ट मैनेजर/ सदस्य,  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

( गिरीश कुमार श्रीवास्तव ),  
एडवोकेट/सदस्य,  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

( मौ0 शारिक सिद्दीकी ),  
अध्यक्ष,  
अपर जिला जज द्वितीय,  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

( श्याम लाल सरोज ),  
डी0एस0ए0/सदस्य,  
Accessibility Committee  
जौनपुर।

**List of Disabled Layer Practicing in District Court / Gram Nyayalays, in District Jaunpur**

S.N.	Name of Advocate	Father's Name	Registration Number	Mobile Number	E-Mail Address
	Girish Kumar Srivastava (Member Accessibility Committee)	Ramakant lal Srivastava	Up4583 / 1983	9919667469	girishsrivastav34@gmail.com
1	Savita Yadav	Ramji Yadav	UP09137 / 2023	8115077143	sikandaryadavo554@gmail.com
2	Kranti	Nirmal Kumar	UP25156 / 2023	9569313289	krantikm6@gmail.com
3	Manoj Kumar Yadav	Lal Chand	UP02689 / 2024	7052974005	manojyadavjnp4005@gmail.com
4	Prakash Chandra	Late Awadh Narain	UP05036 / 2002	9721775064	
5	Briljal Yadav (Gram Nyayalay Machhali Shahar)	Ram Shanker Yadav	UP01847 / 2020	6391935804	raviyadav092775@gmail.com
6	Vivek Kumar Singh (Gram Nyayalay (Kerakat))	Rajendra Bahadur Singh	UP03077 / 2004	9415652559	svivekkumar30@gmail.com
7	Muhammad Arif (Gram Nyayalay Shahganj)	Abdul Zabbar	UP09441 / 2020	9198420266	mohdarif266@gmail.com

श्रीमानजी,  
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर तथा ग्राम न्यायालय केराकत, मछलीशहर, एवं शाहगंज में लिखि व्यवसाय कर रहे असक्षम अधिवक्तागण की उपरोक्त सूची सितम्बर, 2024 प्रत हुई है जो श्रीमानजी के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।  
ससम्मान।

*Deem Member*  
*27/09/2024*

डी०एस०ए०

*29.09.24*

प्रेषक,

मौ० शारिक सिद्दीकी,  
अपर जिला जज द्वितीय, /

अध्यक्ष,

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),  
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

सेवामें,

अध्यक्ष/मन्त्री,

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ,  
जौनपुर।

विषय—

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर में तथा तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालयों में वकालत व्यवसाय कर रहे विकलांग अधिवक्तागण की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 06.11.2023 का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद न्यायालयों में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee), का गठन किया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित कमेटी की सूचना आपको पूर्व में दी जा चुकी है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि ऐसे अधिवक्तागण जो इस सुविधा के पात्र हैं उनकी सूची उपलब्ध करवायी जाय। माह सितम्बर 27, 2024 के अन्त में समिति की बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं तहसील स्तर से अब तक कुल 7 अधिवक्तागण की सूची प्राप्त हुई है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ऐसे अधिवक्तागण जो न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ हों एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों उनकी सूची (नाम, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा ई-मेल पता सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में ऐसे अधिवक्तागण की सूचना कमेटी के ई-मेल पता— committeeaccessibility@gmail.com पर भी प्रेषित किया जा सकता है। जिससे उनका डाटाबेस (Database) तैयार किया जा सके एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उनको उक्त सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

दिनांक : 27.09.2024 ई०।

भवदीय,

(मौ० शारिक सिद्दीकी),

अपर जिला जज द्वितीय, /

अध्यक्ष,

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),  
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित : —

1. अध्यक्ष/मन्त्री, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर।
1. अध्यक्ष/मन्त्री, कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति, जौनपुर।
2. अध्यक्ष/मन्त्री, रागरत तहसील अधिवक्ता समिति, जौनपुर।